

## order Sheet [Contd]

प्र०क० 107/17बैल

te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
15-3-17	<p>आवेदक/आरोपी अतेन्द्र सिंह द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर अधिवक्ता ।</p> <p>शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक ।</p> <p>पुलिस थाना गोहद की ओर से अप०क० 256/16 धारा 307,294,506,34 भा०द०सं० की केश डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त हुयी । बचाव पक्ष अधिवक्ता ने आवेदनपत्र के समर्थन में दस्तावेज भी पेश किये ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा०फो० में बताया गया है कि यह उनका प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना गोहद ने फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध गलत एवं झूठा अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर दिया है । आवेदक के पुत्र भूपेन्द्र सिंह के नाम से मौजा आलोरी (चौधरी का पुरा) तहसील गोहद में कृषि भूमि खाता है और आवेदक व आवेदक का पुत्र ग्वालियर रहकर कृषि कार्य करता है । फरियादी जितेन्द्र सिंह, उलफतसिंह, नाथूसिंह आवेदक को खेती नहीं करने देते थे और बोर पर रखे सामान को चोरी कर लेते थे । आवेदक के पुत्र ने सामान चोरी करने वाबत् कहा तो सभी लोग आवेदक के पुत्र को गंदी गंदी गालियां देने लगे और लाठी लेकर मारने को दौड़े जिससे वह जान बचाकर भागा जिसके संबंध में दिनांक 1-6-16 को एस०डी०ओ०पी० गोहद को आवेदन दिया फरियादी पक्ष ने धमकी दी कि उनके विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा देंगे । उक्त रंजिश पर से आवेदक के खिलाफ झूठा अपराध दर्ज कराया गया है । घटना दिनांक 16-9-16 की बतायी जा रही है जबकि आवेदक की लायसेंस</p>	

बन्दूक कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर के यहां दिनांक 9-6-16 को जमा है । उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया । सह आरोपी भूपेन्द्र सिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा जा चुका है । उक्त आरोपी के समान ही आवेदक का अपराध है । आवेदक काश्तकार व्यक्ति है कहीं भागने वाला व्यक्ति नहीं है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है ।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया है प्रकरण का अवलोकन किया गया । फरियादी जितेन्द्र सिंह की रिपोर्ट पर से कि दिनांक 16-9-16 को शाम के पांच बजे उसके परिवार के अतेन्द्र सिंह गुर्जर के खेत को नाथूसिंह व वकीलसिंह जबरदस्ती जोत रहे थे वह रोकने के लिये गया लल्लासिंह गुर्जर व अन्य सह आरोपी के द्वारा गाली गलोच कर एक साथ आए और इस दौरान सह आरोपी अतेन्द्रसिंह ने अपनी लाइसेंसी रायफल से जान से मारने की नियत से उसके भाई नाथूसिंह को गोली मारी और राजेन्द्रसिंह ने भी गोली चलाई और जान से मारने की धमकी देकर चले गये । जिस पर पुलिस थाना गोहद में धारा 307,294,506,34 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

आवेदक अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि आवेदक के द्वारा कोई कृत्य नहीं किया है । उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि जिस रायफल से गोली मारना बताया जा रहा था वह रायफल उस समय शासन के पास जमा थी । उसके विरुद्ध रायफल से जो गोली मारने का आक्षेप बताया गया है वह गलत है । सह आरोपी उपेन्द्र सिंह एवं रामनरेश उर्फ लल्ला की जमानतें स्वीकार की जा चुकी हैं ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि फरियादी जितेन्द्र के द्वारा घटना दिनांक को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जिसमें स्पष्ट रूप से वर्तमान आवेदक पर यह आक्षेप लगाया गया है कि आवेदक के द्वारा जान से मारने की नियत से रायफल से गोली मारी गयी थी जो कि फरियादी के भाई नाथूसिंह के सिर पर लगी थी । चिकित्सीय परीक्षण में आहत नाथूसिंह के सिर पर गन शॉट इंजुरी होने का उल्लेख है । निश्चित रूप से सिर शरीर का मार्मिक अंग है । जहां तक आरोपी अतेन्द्र सिंह की रायफल जमा होने के कारण उस पर लगाये गये

आक्षेप को बचाव पक्ष के द्वारा गलत होना बताया जा रहा है वह संपूर्ण साक्ष्य का विषय है और इस स्टेज पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता ।

विचारोपरान्त जबकि वर्तमान आरोपी पर स्पष्ट रूप से रायफल की गोली से आहत नाथुसिंह के सिर में गोली मारकर चोट पहुंचाने के संबंध में आक्षेप है । उक्त आरोपी का प्रकरण जमानत पर छोड़े गये अन्य सह आरोपीगण उपेन्द्र सिंह एवं रामनरेश उर्फ लल्ला से भिन्न प्रकरण का है । समानता के आधार पर वर्तमान आवेदक/आरोपी जमानत की पात्रता नहीं रखता ।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं वर्तमान आवेदक पर लगाये गये आक्षेप एवं प्रकृति को देखते हुये उसकी ओर से पेश नियमित जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी वापिस की जाये ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

ए0एस0जे0गोहद